

सं० ई-11012/13/2011/हिन्दी/

भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
केन्द्रीय जल आयोग
(हिंदी अनुभाग)

713 (द), सेवा भवन
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक 14 फरवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

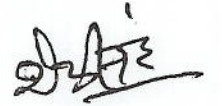
विषय: प्रवीण, प्रबोध और प्राज्ञ के प्रशिक्षण के लिए शेष रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों (एम.टी.एस. कर्मचारियों सहित) की संख्या से संबंधित सूचना।

उपर्युक्त विषय से संबंधित परिपत्र दिनांक 10.12.2010, 31.01.2011 और 16.06.2011, 7.10.2011 और 23.11.2011 के अनुसरण में पुनः सूचित किया जाता है कि आयोग (मुख्यालय) के सभी तकनीकी निदेशालय संलग्न प्रपत्र में अपने निदेशालयों से संबंधित सूचना तत्काल हिंदी अनुभाग को भेज दें। जिन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है उनके नाम, पदनाम और आयु (Age) का उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि उनको प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सके।

2. सभी तकनीकी समन्वय निदेशालयों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ निदेशालयों के दूरभाष नम्बर, बी.पी.एल. नम्बर और कमरा नम्बर का उल्लेख करते हुए एक सूची हिन्दी अनुभाग को तत्काल भेज दें ताकि संबंधित निदेशालयों से संपर्क किया जा सके।

3. जल विभाजन एवं जलाशय अवसादन, प्रबोधन (पूर्व), तकनीकी प्रलेखन, बीसीडी (पू. एवं उ.पू.) निदेशालयों से सूचना प्राप्त हो गई है। समन्वय निदेशालयों से अपेक्षित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

संलग्न - उपर्युक्त



(शेर सिंह)

उप निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय)।
2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।
3. निदेशक (स्थापना-1 एवं 2), केन्द्रीय जल आयोग।
4. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय जल आयोग।
5. निदेशक (समन्वय), जल आयोजन एवं परियोजना/अभिकल्प एवं अनुसंधान/नदी प्रबंध।
6. सभी अवर सचिव एवं अनुभाग अधिकारी/अनुभाग/ निदेशालय केन्द्रीय जल आयोग।

uplco
MAY
AD-2

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट
(01 अप्रैल 2010 से 30 सितंबर 2010 को समाप्त छात्राही रिपोर्ट)

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/निगम/बैंक/उपक्रम आदि का नाम तथा पूरा पता (पिन कोड सहित)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		प्रचालन अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		योग
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या					
2.	क्र.सं. 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या					
3.	क्रम सं. 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी।				
4.	क्रम सं. 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा है।				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।				

5.	क्रम सं. 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा है।							
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा है।							
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा है।							
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी।							
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा है।							
6.	बर्ग "घ" से बर्ग "ग" में आए कर्मचारियों की संख्या	जिनको भाषा प्रशिक्षण दिया जाना है।							
		जिनको टंकण प्रशिक्षण दिया जाना है।							

- टिप्पणी:- 1. क्रम संख्या 2,3,4,5,6 का योग क्रम संख्या 1 के योग के बराबर हो।
 2. उक्त अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट 01 अप्रैल से 30 सितंबर तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च तक वर्ष में दो बार तैयार कर 15 अक्टूबर तथा 15 अप्रैल तक उप निदेशक (मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजें।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित
 तथा दूरभाष संख्या